



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1937 (श10)
(सं0 पटना 942) पटना, बुधवार, 19 अगस्त 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

19 अगस्त 2015

सं० एल0जी0-1-14/2015/लेज: 114—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 13 अगस्त 2015 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन एवं विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2015

[बिहार अधिनियम 13, 2015]

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संशोधन करने हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन एवं विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा-2, धारा-3 एवं धारा-12 तुरत प्रवृत्त होगी, जबकि धारा-4, धारा-5, धारा-6, धारा-7, धारा-8, धारा-9, धारा-10 एवं धारा-11 दिनांक 31वीं मार्च, 2012 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी।

2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 3 की उप-धारा (3) में संशोधन।— बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के प्रथम परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "पाँच लाख रुपये" को शब्द "दस लाख रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 3कक में संशोधन।— बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 3कक में प्रयुक्त शब्द "प्रत्येक व्यवहारी जिसका" के बाद शब्द "इस धारा के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का" जोड़े जाएंगे।

4. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (6) में संशोधन।— बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (6) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "उप-धारा (1)" शब्द एवं अंक "उप-धारा (1क)" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (7) में संशोधन।— बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (7) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "उप-धारा (1)" शब्द एवं अंक "उप-धारा (1क)" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (8) में संशोधन।— बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (8) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "उप-धारा (1)" के बाद शब्द एवं अंक "या उप-धारा (1क)" जोड़े जाएंगे।

7. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (10) में संशोधन।— (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (10) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "उप-धारा (1)" शब्द एवं अंक "उप-धारा (1क)" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (10) के खण्ड (ख) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "उप-धारा (1)" शब्द एवं अंक "उप-धारा (1क)" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (12) में संशोधन।— बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (12) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "उप-धारा (1)" शब्द एवं अंक "उप-धारा (1क)" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 25 की उप-धारा (1) में संशोधन।— बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 25 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "उप-धारा (1)" शब्द एवं अंक "उप-धारा (1क)" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 32 की उप-धारा (1) में संशोधन।— बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "उप-धारा (1)" शब्द एवं अंक "उप-धारा (1क)" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 93 की उप-धारा (2) में संशोधन।— बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 93 की उप-धारा (2) के खंड (द) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "उप-धारा (1)" के बाद शब्द एवं अंक "एवं (1क)," जोड़े जाएंगे।

12. विधिमाम्यकरण एवं व्यावृत्ति।— (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (6), धारा 24 की उप-धारा (7), धारा 24 की उप-धारा (8), धारा 24 की उप-धारा (10), धारा 24 की उप-धारा (10) के खंड (ख), धारा 24 की उप-धारा (12), धारा 25 की उप-धारा (1), धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (ख) एवं धारा 93 की उप-धारा (2) के खंड (द) में संशोधन, सभी प्रयोजनों हेतु, 2012 के मार्च की 31वीं तारीख के प्रभाव से, सभी तात्त्विक समय से विधिमाम्यतः एवं प्रभावकारी रूप से, प्रवृत्त एवं सदैव प्रवृत्त समझे जाएंगे।

(2) (i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली एवं निर्गत अधिसूचना के अधीन कोई कर निर्धारण, कर संग्रहण, समायोजन, घटाव अथवा संगणन अथवा कृत कोई अन्य कार्रवाई अथवा की गई कोई बात या की जाने के लिए आशयित कोई बात या कार्रवाई, सभी प्रयोजनों हेतु, विधिमाम्यतः या प्रभावकारी रूप से, निर्धारित, संग्रहित, समायोजित, घटायी गयी, संगणित अथवा की गई समझी एवं सदैव समझी जायेगी मानों इस संशोधन द्वारा संशोधित धारा 24, धारा 25, धारा 32 एवं धारा 93 सभी तात्त्विक समय में प्रवृत्त थी तथा, तदनुसार, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बात के होते हुए भी—

(क) ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति के रूप में प्राप्त की गई अथवा भुगतान की गयी किसी राशि की वापसी हेतु कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई न तो किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में प्रारम्भ की जायेगी, न चलायी जायेगी और न ही जारी रखी जायेगी;

(ख) प्राप्त या वसूल किए गए ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति की राशि की वापसी हेतु डिफ्री अथवा आदेश का प्रवर्तन किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा नहीं कराया जायेगा।

(ग) ऐसी सभी राशि, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप-धारा (6), धारा 24 की उप-धारा (7), धारा 24 की उप-धारा (8), धारा 24 की उप-धारा (10), धारा 24 की उप-धारा (10) के खंड (ख), धारा 24 की उप-धारा (12), धारा 25 की उप-धारा (1), धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (ख) एवं धारा 93 की उप-धारा (2) के खंड (द) में इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन के फलस्वरूप बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन संग्रहित की जा सकती थी परन्तु जिनका संग्रहण नहीं किया गया, का संग्रहण उपर्युक्त धाराओं में किए गए संशोधन के अनुसार किया जा सकेगा।

(ii) शंकाओं के निराकरण हेतु एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप, जो इन धाराओं के प्रवृत्त नहीं होने की दशा में दंडनीय नहीं होता, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2015

सं० एल०जी०-1-14/2015/लेज: 115 —बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2015 को अनुमत बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

Bihar Value Added Tax (Amendment and Validation) Act, 2015

[Bihar Act 13, 2015]

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT, 27 OF 2005)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-Sixth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Bihar Value Added Tax (Amendment and Validation) Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) Section- 2, Section- 3 and Section- 12 of this Act shall come into force at once where as section- 4, section- 5, section- 6, section- 7, section- 8, section- 9, section- 10 and Section- 11 shall be deemed to have come in force with effect from the 31st day of March, 2012

2. Amendment in sub-section (3) of section 3 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).- The words “five lakh rupees” used in first proviso of clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the words “ten lakh rupees”.

3. Amendment in section 3AA of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).- After the words “every dealer whose gross turnover” used in section 3AA of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the words “of goods specified in notification issued under this section” shall be added.

4. Amendment in sub-section (6) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)- The words and figures “sub-section (1)” used in sub-section (6) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the words and figures “sub-section (1A)”.

5. Amendment in sub-section (7) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)- The words and figures “sub-section (1)” used in sub-section (7) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the words and figures “sub-section (1A)”.

6. Amendment in sub-section (8) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)- After the words and figures “sub-section (1)” used in clause (a) of sub-section (8) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the words and figures “or sub-section (1A)” shall be added.

7. Amendment in sub-section (10) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)- (1) The words and figures “sub-section (1)” in sub-section (10) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the words and figures “sub-section (1A)”.

(2) The words and figures “sub-section (1)” used in clause (b) of sub-section (10) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the words and figures “sub-section (1A)”.

8. Amendment in sub-section (12) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)- The words and figures “sub-section (1)” used in sub-section (12) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the words and figures “sub-section (1A)”.

9. Amendment in sub-section (1) of section 25 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)- The words and figures “sub-sections (1)” used in sub-section (1) of section 25 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the words and figures “sub-sections (1A)”.

10. Amendment in clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)- The words and figures “sub-section (1)” used in clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the words and figures “sub-section (1A)”.

11. Amendment in clause (r) of sub-section (2) of section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)- After the words and figures used in “sub-section (1)” of clause (r) of sub-section (2) of section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the words and figures “and (1A)” shall be added.

12. Validation and Saving— (1) The amendments made by this Act in provisions of sub-section (6) of section 24, sub-section (7) of section 24, sub-section (8) of section 24, sub-section (10) of section 24, clause (b) of sub-section (10) of section 24, sub-section (12) of section 24, sub-section (1) of section 25, clause (b) of sub-section (1) of section 32 and clause (r) of sub-section (2) of section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be deemed to have been in force and always be in force, for all purposes, validly and effectively for all material times with effect from the 31st day of March, 2012.

(2) (i) Any assessment, collection, adjustment, reduction or computation made or any other action taken or anything done or purported to have been taken or done under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) and notifications issued and rules made there under shall be deemed to be taken or done and always be taken or done, for all purposes, validly and effectively, assessed, collected, adjusted, reduced, computed or taken or done as if the section 24, section 25, section 32 and section 93 as amended by this

amendment had been in force for all material times and, notwithstanding anything contained in any judgment, decree, or order of any Court, or Tribunal or other Authority:-

(a) no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any Court or Tribunal or other Authority for the refund of any amount received or paid as such tax, interest or penalty;

(b) no Court, Tribunal or other Authority shall enforce any decree or order directing the refund of any amount received or paid as such tax, interest or penalty;

(c) recoveries may be made in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 24, sub-section (7) of section 24, sub-section (8) of section 24, sub-section (10) of section 24, clause (b) of sub-section (10) of section 24, sub-section (12) of section 24, sub-section (1) of section 25, clause (b) of sub-section (1) of section 32 and clause (r) of sub-section (2) of section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) of all amounts which could have been collected under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 by reason of amendment made in the above section 24, section 25, section 32 and section 93 by this amendment but which had not been collected.

(ii) For the removal of doubts, it is hereby declared that no act or omission on the part of any person shall be punishable as an offence which would not have been so punishable if this amendment in the above provisions had not come into force.”

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 942-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>